दिनांक 08.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 08/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 07.05.2024 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनुज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अनुज निवासी राहुल गार्डन लाईन पार बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम देवपुरा थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>बरामदगी</u>

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बहराइच/क्राइम ब्रान्च

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **05 खोखा, 01 मिस कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 08.05.2024 को क्राइम ब्रान्च जनपद बहराइच पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मोतीपुर क्षेत्र के ग्राम बरूआ से मटाईनपुरवा जाने वाले मार्ग पर पुलिया के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त सन्तराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 05 खोखा, 01 मिस कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मोतीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सन्तराम निवासी शायपुर थाना धौरहरा जनपद खीरी।

बरामदगी

1—08 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—05 खोखा, 01 मिस कारतूस।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 300 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 08.05.2024 को थाना सरसावा व एएनटीएफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान अभियुक्त इरफान उर्फ ज्योति को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 300 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सरसावा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरफान उर्फ ज्योति निवासी बाढी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 300 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद बिजनौर/थाना नहटौर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 किलोग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 08.05.2024 को थाना नहटौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान अभियुक्त शहजाद उर्फ शब्बू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नहटौर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शहजाद उर्फ शब्बू निवासी मो0मोलवियान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–02 किलोग्राम अवैध चरस।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 67–67 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376/363/366/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–ताज मोहम्मद उर्फ ताज 2–कृष्णा 3–बिजेन्द्र 4–सद्दाम को आजीवन कारावास व 67–67 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना सरायख्वाजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सरायख्वाजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 377 भादवि सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनुराग को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना कालपी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 22 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 91 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कालपी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3)/342 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अक्षय को 22 वर्ष के सश्रम कारावास व 91 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————